

# वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: वी.ब.सिंह.पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 2023 / 3527  
दिनांक : 22.03.23

सेवा में

प्रबन्धक,  
बलदेव श्रीधर विधि महाविद्यालय,  
भवरहां, पाण्डेयपुर राधे, (सत्येन्द्र नगर), गाजीपुर।

**विषय:**— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-22.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1	डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह आधार नं-450632885600	श्री हरिनाथ सिंह	01.05.1973	एल0एल0एम0, डी0फिल0	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2022/ 1490  
दिनांक : 18.7.22

सेवा में

प्रबन्धक,  
बलदेव श्रीधर विधि महाविद्यालय,  
भवरहां, पाण्डेयपुर राष्ट्र (सत्येन्द्र नगर),  
गाजीपुर।

**विषय:-** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय के एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के पद पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-22.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी रास्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 पर विसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा अनुमोदन में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1.	नूर सवा बेगम आधार नं-829889039595	श्री महमूद अहमद खान	10.03.1986	एल0एल0एम0, नेट	प्रवक्ता विधि
2.	श्री आलोक कुमार यादव आधार नं-258664270590	श्री श्याम नारायण यादव	14.07.1982	एल0एल0एम0, नेट	प्रवक्ता विधि
3.	श्री लक्ष्मी शंकर यादव आधार नं-858452403719	श्री अच्छेलाल यादव	20.01.1984	एल0एल0एम0, नेट	प्रवक्ता विधि
4.	ताहिर कुरेशी आधार नं-374512742446	मोहम्मद साबिर	10.10.1984	एल0एल0एम0, नेट	प्रवक्ता विधि
5.	श्री इरशाद खौ आधार नं-902799792089	श्री एस0 केऽ० मंसूरी	05.12.1985	एल0एल0एम0, नेट	प्रवक्ता विधि
6.	श्री विनोद कुमार आधार नं-984848603592	श्री भगवान दत्त	01.07.1988	एल0एल0एम0, नेट	प्रवक्ता विधि

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय रूप स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा विभागाध्यक्ष के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

मवदीप्